

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2012—चैत्र 31, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
(नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

सीधी, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 54-2012.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 (1) एवं (2) के अनुक्रम में नगरपालिका सीधी क्षेत्र की सीमा वृद्धि संबंधी जारी अधिसूचना क्र. 37-2011-12, दिनांक 26 मार्च 2012 एतद्वारा निरस्त की जाती है.

मसूद अख्तर, कलेक्टर.